न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः– 292/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00243)

1. शंकर लाल पुत्र दामोदर जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम मोठू का वास, तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी महापुरा उर्फ कुकरखेडा, मुरलीपुरा स्कीम के पास जयपुर।

---अपीलान्ट

बनाम

1. संतोष देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह चौधरी जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर ए–6, हरीनगर शास्त्री नगर जयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री राजाराम चौधरी,
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 28.07.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 18.06.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन किया था कि उत्तरदाता राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे के अनुसार बनाये गये मानचित्र पर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है व उत्तरदाता का मौके पर किसी प्रकार से अधिक भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही नहीं है बल्कि सही बात यह है कि उत्तरदाता ने अपनी भूमि को पुख्ता डोल बाउण्ड्री से महदूद कर रखा है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को सदैव से रही है, बाउण्ड्रवाल का निमार्ण करते समय रेस्पोडेन्ट की भूमि से ही पानी लिया गया था और रेस्पोडेन्ट तब उसके परिवारजन की उपस्थिति में पुख्ता बाउण्ड्रीवाल की गई थी, अब रेस्पोडेन्ट बदनियती से उत्तरदाता की उपजाऊ व बाउण्ड्रीवालशुदा भूमि को अपनी भूमि में मिलाने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 पारित किया है, जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि राज्य सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन के द्वारा मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही भू–राजस्व अधिनियम की

P.T.O.

धारा 136 में दोनों पक्षों की सहमति से ही दुरूस्त करने का अधिकार छोड़े गये हैं इस बात को भी नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 पारित किया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से जो अनुतोष प्राप्त किया है वह अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश की कोई विधिक मान्यता, विधिक प्रभाव, विधिक महत्व विधिक अस्तित्व नहीं है जिसको अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में कताई नहीं थी, दिनांक 24.11.2019 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने एव अपीलान्ट को बेदखल करने की कोशिश की गई जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट्स से अपीलान्ट की भूमि में दखलन्दाजी करने का कारण पूँछ तो रेस्पोडेन्ट ने बताया है कि हमने खाते में हमारी जमीन करवा ली है तथा तुम्हारी जमीन कम करवा दी है जिस पर अपीलान्ट ने अपने परिचित अधिवक्ता से उक्त प्रकरण की पत्रावली का मालूम कर नकल हेतु दिनांक 25.11.2019 को आवेदन किया जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 25.11.2019 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सलाह मुशवरा कर फीस इत्यादि का इंतजाम कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब की माफी हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात अपीलार्थी शंकरलाल पुत्र दामोदर ब्राहम्ण की ओर से दिनांक 06.08.2018 को अभिभाषक श्री सीताराम जांगिड ने अण्डरटेकिंग पेश की और जवाब व वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा और दिनांक 18.03.2019 को अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात् विचाराधीन प्रकरण में करीबन 10 माह पश्चात् दिनांक 14.06.2019 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर आदेश हेतु दिनांक 18.06.2019 नियत की गई और दिनांक 18.06.2019 को प्रकरण का निस्तारित किया गया है इस प्रकार प्रकरण में की गई समस्त अग्रिम कार्यवाही तथा पारित किये गये निर्णय के संबंध में जानकारी करने का दायित्व स्वयं अपीलार्थी का ही था इसलिये अब अपीलार्थी को यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वह यह जाहिर करते हुये अपील प्रस्तुत करे कि उसे अपील में पारित निर्णय के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, कानूनन वे इस तरह के

कथन से अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें एवं अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पपोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को भी अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर में स्थिति भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 0.67 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि है जिसके साबिका खसरा नम्बर 99/9 रकबा 0.67 हैक्टयर है जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 202 का राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय रेस्पोडेन्ट का पर्चा खतौनी, पर्चा लगान जारी करते समय राजस्व नक्शा ट्रेस में भूमि का रकबा गत जमाबन्दी व नक्शें के अनुसार नही बनाकर कम भूमि का नक्शा ट्रेस जारी कर दिया जो हाल व साबिक जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम रकबे का है, हाल जमाबन्दी में रकबा 0.67 हैक्टयर दर्ज है तथा नक्शा ट्रेस के अनुसार 0.56 हैक्टयर ही है जो 0.11 हैटक्यर कम दर्ज है और खसरा नम्बर 219 रकबा 0.31 हैक्टयर का जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक का नक्शा ट्रेस बना दिया गया जो गलत है जिसकी दुरूस्ती हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आमेर से रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार आमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 202 रकबा 0.67 हैक्टयर का नक्शा रकबे के अनुरूप ना होकर छोटा बनाये जाने तथा उसके समीप लगते हुय खसरा नम्बर 219 का नक्शा रकबे से अधिक रकबे का बनाया जाने मानते हुए नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित माना है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात् एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली क अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट क्रमांक 1751 दिनांक 23.03.2018 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 0.67 हैक्टयर का नक्शा रकबे के अनुरूप न होकर छोटा बनाया दिया है तथा हाल खसरा नम्बर 202 के समीप लगते हुए खसरा नम्बर 219 का नक्शा रकबे से अधिक का बनाया गया है जो कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा

सहवन से छोटा कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायला उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।